


11.11.2025

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री उमेश पटेल उपस्थित। परोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या तीन अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या चार के अधिवक्ता श्री कलीम अब्बल उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक/एलसी/2023-24/162470 दिनांक 28.07.2023 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
(अल्पा चौधरी)

जिला कलक्टर, सिरौही